(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10] पंचम् विधान सभा के दशम् सत्र का पहला दिवस [संख्या 1

सोमवार,

5 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.48 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अभिभाषण

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

स्वर्गीय श्री के. कामराज, डा. अम्बालाल व श्री छीतरमल को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन के सत्रावसान के बाद में हमारे देश में और इस प्रदेश में कुछ महान व्यक्तियों का देहावसान हुआ है उनमें श्री के. कामराज का नाम उल्लेख किये बिना हम नहीं रह सकते। श्री कामराज सुदूर दक्षिण में तामिलनाडु में पैदा हुए थे किन्तु वे एक अखिल भारतीय व्यक्तित्व के थे। वे एक साधारण घर में पैदा होकर के और राष्ट्र के महान् व्यक्तियों में से एक बने, अपने त्याग से, बलिदान से, कर्तव्य निष्ठा से। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने कामराज के जीवन को देखने की कोशिश की है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कामराज साधारण आदमी के नजदीक व्यक्तियों में से एक थे और वे सामान्य आदमी की स्थिति को ऊंचा उठाने की बात में विश्वास करते थे। वर्षों तक वे तामिलनाडु के मुख्य मंत्री रहे। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वे उस समय अध्यक्ष बने जब इस राष्ट्र को दो बार–एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी बार श्री लालबहादुरजी शास्त्री के देहावसान के समय प्रधान मंत्री चुनने का एक महान् कार्य हाथ में लेना पड़ा। यह श्री कामराज की सूझबूझ का ही परिणाम था कि उन्होंने दोनों बार स्वर्गीय प्रधान मन्त्रियों के योग्य-उत्तराधिकारियों का चयन किया और देश को स्थायित्व दिया।

अध्यक्ष महोदय, भारत की राजनीति में उनके एक काम से वे अजर-अमर हो गये। श्री कामराज की संगठन-शक्ति अद्भुत थी। वे विचारवान थे और वे यह चाहते थे कि देश का सर्वहारा वर्ग ऊंचा उठे, इसके

Page No 2

(2)

(श्री हरिदेव जोशी)

लिये वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। मैं श्री कामराज की पुण्य स्मृति में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बीच में हमारे बीच से इस सदन के भूतपूर्व सदस्य डा. अम्बालाल जी भी चल बसे। डा. अम्बालालजी पांच वर्ष तक इस सदन के सदस्य रहे हैं। उनका सरल स्वभाव हम सबको प्रभावित किये हुए रहा है। जो लोग अजमेर से आते हैं वे जानते हैं कि वहां के सामाजिक जीवन में उनका कितना कन्ट्रीब्यूशन था। वे न केवल एक अच्छे डाक्टर थे बल्कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। मैं उनकी पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक और भूतपूर्व सदस्य श्री छीतरलालजी बूंदी, जो इस सदन के 1952 से 57 तक सदस्य रहे, का भी देहावसान हो गया। श्री छीतरलालजी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्त्ता और एडवोकेट थे। अभी हाल ही में उनका देहावसान हुआ है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो शोक प्रस्ताव रखे हैं मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। श्री के. कामराज, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा, वास्तव में तामिलनाडु के ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय स्तर के नेता थे और तामिलनाडु के मुख्य मंत्री के रूप में या अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य उन्होंने किये थे, जो दलित वर्गों के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति थी उसके लिये वे हमारे देश में काफी विख्यात हुए। कांग्रेस के अन्दर पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्री काल में और श्री कामराज की अध्यक्षता में जिस प्रकार कुछ नेताओं को पदों से अलग करके और पजिग किया, उसके नाम से भी श्री कामराज प्रसिद्ध हैं और कामराज प्लान के नाम से आज भी देश के इतिहास में वह मशहूर हैं। श्री कामराज कांग्रेस के 1969 के स्पलिट में किन्हीं कारणों से कांग्रेस के उस हिस्से के साथ नहीं रह पाए जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थीं और कांग्रेस के भीतर जो अनुदार दल था, उनको साथ विवशता के कारण जाना पड़ा। परन्तु अपने स्वर्गवास से पहले उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और वापिस जो कांग्रेस में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो नया कार्यक्रम अपनाया गया, उसमें सहयोग करने के लिए और संगठन कांग्रेस को वापिस तामिलनाडु, कांग्रेस में विलय करने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। इस प्रकार देश में तमाम जनवादी शक्तियां एक जुट हों, उसके वे समर्थक थे। मैं उनको अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

डाक्टर अम्बालाल शर्मा हमारे अजमेर के भूतपूर्व विधायक, हमारे बुजुर्ग साथी थे जिनकी इस सदन में भी बुजुर्गी का और संजीदगी का भारी प्रभाव था। जिस क्षेत्र से वे आते थे वहां के लोगों से कई बार मुझे मिलने का मौका मिला। वहां वे बहुत ही लोकप्रिय थे, अपनी सौजन्यता, स्वभाव और सादगी के कारण लोकप्रिय थे। मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री छीतरलाल एडवोकेट से मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी। उनके प्रति भी मैं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन व्यक्तियों के संबंध में रखा है, मैं अपनी व अपने दल की ओर से उसका समर्थन करता हूं। मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश के तीन महान् व्यक्ति थे जो हमारे बीच में नहीं रहे। इनमें कामराजजी का नाम सारे देश में सदा ही कायम रहेगा और लोग उन्हें याद करते रहेंगे। इसके अलावा इस सदन के दो भूतपूर्व विधायक श्री छीतरलाल और श्री अम्बालालजी हमें छोड़कर चले गए हैं। उन दोनों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहरसिंह (सादूलपुर) : मैं तीनों दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस सत्रावकाश में हमारे विधान सभा के दो भूतपूर्व सदस्य और देश के एक महान् नेता हमसे अलग हो गए। उस संबंध में जो इस सदन में भाव व्यक्त किए गए, उन सबमें मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। कामराजजी देश के बहुत बड़े नेताओं में से थे। वह अपनी ईमानदारी, चरित्र और संगठन शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष तो और भी रहे हैं लेकिन वे एक ऐसे काल में अध्यक्ष रहे जिनके काल में दो प्रधान मंत्री हिन्दुस्तान को देखने का मौका मिला और ऐसी प्रतिभाशाली प्रधान मंत्री जो वर्तमान में हमारी प्रधान मंत्री हैं, यह भी उनके ही संगठन काल में, जब वे अध्यक्ष थे तब बनी हैं, उसमें उनका सहयोग रहा। उन्होंने सही तरीके से पहचाना कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में जाना उचित है, किसके हाथ में जाना उचित नहीं है, कौन देश को उचित नेतृत्व दे सकता है, कौन नहीं, यह कामराजजी की सूझबूझ की बात थी कि उन्होंने देश और कांग्रेस के हित में प्रधान मंत्री के चयन के बारे में सही राय दी और देश का मार्गदर्शन किया। तो उन्होंने उन दिनों में बहुत काम किया, वे मद्रास के मुख्य मंत्री भी रहे, संगठन में बहुत काम करते रहे। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अम्बालाल शर्मा एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वे 1967 से 1972 तक हमारे सदन के सदस्य रहे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और सामाजिक कामों में काफी दिलचस्पी रखते थे।

इसी तरह से छीतरलाल जी पहले सदन के सदस्य थे। वे बहुत भले आदमी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनीति में दिलचस्पी रखते थे और सदन के काम में काफी दिलचस्पी रखते थे।

मैं इन दोनों ही दिवंगत आत्माओं के प्रति आपके साथ में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मैं सदन से निवेदन करूंगा कि दो मिनिट के लिए मौन खड़े होकर

Page No 4

(4)

(श्री अध्यक्ष)

दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही कल मंगलवार 6 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 12.4 बजे मंगलवार दिनांक 6 जनवरी, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट

महामहिम राज्यपाल, श्री जोगेन्द्र सिंह, का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के इस सैशन में मैं आपका स्वागत करता हूं।

यह सैशन ऐसे मौके पर मिल रहा है जब प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की रहनुमाई में देश ने एक नया मोड़ लिया है। आप सब लोग उन हालात से वाकिफ हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को ही खतरा पैदा हो गया था। जनता को उकसाया गया कि कानूनी तरीके से बनी सरकारों को वे काम नहीं करने दें। देश के कुछ हिस्सों में तो चुने हुए नुमाइन्दों को घेर कर जबरन इस्तीफे मांगे जाने लगे। यहां तक कि पुलिस और फौज को भी कहा जाने लगा कि वे सरकार का हुक्म न मानें। स्कूलों और कालेजों के लड़कों को गुमराह किया गया। कारखानों में आये दिन हड़तालें कराई जाने लगीं। ऐसे हालात बना दिये गए कि कारखानों और खेती की पैदावार गिर जाय। दुनियां में मंहगाई का जो दौर आया उसका बेजा फायदा उठाया जाने लगा, कालाबाजारी और तस्करी को बढ़ावा मिला। फिरकापरस्ती को भी उभारने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर ऐसे गैर-मामूली हालात पेश आये कि देश के सियासती और माली इन्तजाम बिगड़ने की सूरत पैदा हो गई। इस माहौल से परेशान जनता को राहत देने और कानून व इन्तजाम को कायम करने के लिहाज से मजबूरन देश में इमरजेन्सी लागू करनी पड़ी। साथ ही प्रधानमंत्री ने नये आर्थिक प्रोग्राम का एलान किया ताकि सबको सामाजिक न्याय मिल सके और खुशहाली आये।

प्रधानमंत्री के इन कदमों का एकदम असर हुआ। जनता ने राहत की सांस ली और देश की फिजां बदलने लगी। कल-कारखानों में हड़तालों का सिलसिला खत्म हुआ। स्कूलों और कालेजों में कायदे से पढ़ाई होने लगी। तस्करी, चोर-बाजारी और दूसरे किस्म के काले धन्धों में लगे लोगों को गिरफ्तार किया गया। पैदावार बढ़ने लगी और भाव गिरने लगे। यह गौरव की बात है कि जब सारी दुनियां में "इनफ्लेशन" बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने न केवल मंहगाई को रोक दिया है बल्कि यहां कीमतों में गिरावट भी आयी है। राजस्थान में भी मंहगाई पर काबू पाया गया और कीमतें गिरी हैं।

यही नहीं, नये आर्थिक प्रोग्राम को पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार ने बड़ी तेजी और मुस्तैदी से कदम उठाये हैं। राज्य लेवल पर मुख्य मंत्री की सदारत में एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का खास काम मुख्तलिफ महकमों में तालमेल कायम करना और प्रोग्राम के अलग अलग मुद्दों को मुकम्मिल रूप से अमली जामा पहनाना है। प्रोग्राम के अमल के लिए जिलों में मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। जिला लेवल पर भी कमेटियां बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तरह नीचे की इकाइयों पर भी

कमेटियां बनाई जायेंगी । राज्य में पूरे प्रोग्राम की देखभाल के लिए मुख्य मंत्री के दफ्तर में एक स्पेशल सैल कायम किया गया है ।

राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले ही यह तय किया था कि गांवों में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब का कोई सदस्य और भूमिहीन काश्तकार ऐसा नहीं रहे जिसके पास रिहायशी जमीन न हो । इसके लिए एक अभियान चलाया गया और केवल दो महीनों में ही साढ़े पांच लाख ऐसे परिवारों को रिहायशी प्लाट्स मुफ्त में दिये गए । इस काम को यहीं पर नहीं छोड़ा गया । छोटे और सीमान्त काश्तकारों तथा गांव के कारीगरों को भी रिहायशी जमीन देना तय किया गया । नये आर्थिक कार्यक्रम के तहत ऐसे दो लाख और देहाती परिवारों को जमीन बांटी जा चुकी है । इस तरह कुल 7 लाख 50 हजार प्लाट बांटे जा चुके हैं । सरकार ने अब यह भी तय किया है कि शहरों में रहने वाले कमजोर तबके के लोगों को भी यह फायदा पहुंचाया जावे । इसके तहत अब तक करीब 10 हजार अनुसूचित जाति के लोगों को शहरों में पट्टे दिये जा चुके हैं ।

भूमि–सुधारों का सिलसिला राजस्थान बनने के साथ ही शुरू हो गया था और बिचौलियों को खत्म करने, किसान को जमीन का सीधा मालिक बनाने के सिलसिले में लगातार कदम उठाये गये । इस समय सरकार की यह पूरी कोशिश है कि भूतपूर्व राजा-महाराजाओं के पास जो एस्टेट्स हैं उनको रिज्यूम कर लिया जाय और उन्हें भूमिहीनों को बांट दिया जाय । चूंकि इस सिलसिले में कानूनी अड़चनें आ रही थीं, अतः सरकार ने जरूरी तरमीमें कीं और अब तक 20 हजार एकड़ जमीन का कब्जा ले लिया गया है । सरकार इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कृत-संकल्प है ।

कृषि जोतों पर सीलिंग कानून को भी जल्दी और पूरी तरह लागू करने के लिये सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है । इसके लिए कानून में तरमीम की गई ताकि सीलिंग के मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके । सीलिंग के पुराने और नये कानून के तहत अब तक करीब 85 प्रतिशत मुकदमों को फैसल कर दिया गया है अब लगभग 8 हजार मुकदमे ही बाकी रह गये हैं जिनका निपटारा भी 30 जून, 1976 तक हो जाएगा । करीब 2 लाख 30 हजार एकड़ जमीन का कब्जा लिया जा चुका है और इसे भूमिहीन काश्तकारों को बांटने का काम भी तेजी से चालू है । अब तक 13 हजार 500 के करीब लोगों को जमीन दी जा चुकी है जिसमें करीब 31 प्रतिशत लोग शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के हैं । सीलिंग कानून में यह तरमीम की गई कि फैसलशुदा मामलों को अब फिर खोला जा सकता है । अपनी जमीनों का झूठा तखमीना देने वालों को सजा भी दी जा सकेगी । गिरदावर सर्किल के लेवल पर एक जांच कमेटी कायम की गई है । मुझे उम्मीद है कि इन कार्यवाहियों का अच्छा असर होगा और इस कानून की सही पालना होगी ।

सरकार ने कानून में यह भी तरमीम की है कि रहन-बिल-कब्ज रखी गई जमीन रहन रखने वाले को पांच

साल बाद वापस मिल जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों द्वारा दूसरी जाति के लोगों को ट्रांसफर की गई जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं की जा सकेगी। इनसे कमजोर तबके के लोगों को बहुत बड़ी राहत पहुंचेगी।

भूमिहीन काश्तकारों को जमीन बांटने का काम और तेज कर दिया गया है। जनवरी 1975 से नवम्बर 1975 तक 1 लाख 14 हजार लोगों को 2 लाख 88 हजार एकड़ भूमि नान-प्रोजेक्ट एरिया में तथा 6 हजार 151 लोगों को 62 हजार 730 एकड़ भूमि राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटित की जा चुकी है। दोनों तरह के आवंटितियों में 62 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं दूसरी तरफ जमीन पर नाजायज कब्जों को हटाने का काम भी जारी है। 1 जनवरी, 1975 से अब तक करीब 6 लाख नाजायज कब्जों के मामले फैसल किये जा चुके हैं। अब सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करने वालों से लगान की 50 गुनी रकम जुर्माने के रूप में वसूल की जा सकेगी, दूसरी बार नाजायज कब्जा करने पर तीन महीने की सिविल जेल भी दी जा सकेगी।

रेवेन्यू रेकार्ड को मुकम्मिल करने का काम भी तेजी से चल रहा है। 1 जनवरी, 1975 से करीब 5 लाख दाखिल-खारिज के मामले तय किये गए, करीब डेढ़ लाख काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये गये और 4 लाख 34 हजार काश्तकारों को पास-बुकें बांटी गई। अब तक कुल मिला कर साढ़े तेईस लाख से ज्यादा पास-बुक बांटी गई।

नये आर्थिक प्रोग्राम में पैदावार को बढ़ाने के लिए पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है और इसके लिए पिछली खरीफ में 31 हजार टन खाद किसानों में तकसीम किया गया। करीब साढ़े तीन लाख हेक्टेयर जमीन में अच्छे किस्म के बीज की बुवाई की गई। कुछ इलाकों में जरूरत से ज्यादा बरसात होने के बावजूद भी खरीफ की फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। आने वाली रबी की फसल के भी अच्छी होने के आसार हैं। रबी के लिए करीब 30 हजार क्विंटल अच्छे गेहूं का बीज और 25 हजार टन से ज्यादा खाद अब तक किसानों को बांटा जा चुका है। खेती के नये तरीकों से काश्तकारों को वाकिफ कराने के लिए चम्बल और राजस्थान नहर कमाण्ड में चल रहे एक्सटेन्शन प्रोग्राम को भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, जयपुर, भरतपुर और गंग-भाखरा नहर क्षेत्र में भी चालू कर दिया गया है। चालू साल में गेहूं की लेवी वसूली का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 1 लाख 75 हजार टन तय किया गया था जिसके मुकाबले में लगभग 1 लाख 84 हजार टन गेहूं इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की गई।

नियंत्रित वस्तुओं को सही ढंग से तकसीम करने के लिए राज्य में 10 हजार से ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें काम कर रही हैं इनमें करीब 40 प्रतिशत दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। नियंत्रित वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था को देखने के लिए जिलों में करीब 800 मोहल्ला

(8)

कमेटियां बनाई गई हैं। इसके अलावा राज्य जिला व तहसील हैड-क्वार्टर पर अलग से सलाहकार समितियां काम कर रही हैं। जरूरियात की चीजों के सही तकसीम के सिलसिले में सरकार ने कारगर कदम उठाये हैं। चोर-बाजारी, जमाखोरी व मुनाफाखोरी के खिलाफ कानूनी आदेश के खिलाफवर्जी के 3 हजार से ज्यादा मामले पकड़े गये हैं। इनसे करीबन 64 लाख रुपये की कीमत का माल सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। लगभग तीन लाख फर्जी राशन यूनिट कैन्सिल किये गये हैं।

राजस्थान में पुरुष और महिला खेतीहर मजदूरों के लिए समान न्यूनतम मजदूरी की दरें पहले से ही निर्धारित हैं। अब बड़ी सिंचाई योजना-क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ाकर 5 रुपये से 6 रुपये कर दी गई हैं। अन्य सिंचित क्षेत्रों में अब बढ़ी हुई दर 5 रुपये प्रतिदिन है और जब कि असिंचित क्षेत्र में 4 रुपये 25 पैसे प्रतिदिन है। साथ ही निर्धारित दरों पर मजदूरी श्रमिकों को मिलती रहे, इसके लिए आवश्यक प्रबन्ध एवं कानून में परिवर्तन कर दिये गये हैं। कानून में तरमीम कर विकास अधिकारियों को इस बात के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है वे मजदूरों के कम मजदूरी के दावे सुन सकेंगे। किसान से रोज सम्पर्क में आने वाले एक्सटेन्शन आफिसर्स को मिनिमम वेजेज इन्सपेक्टर्स के अधिकार दिये गये हैं।

सागड़ी के बर्बर रिवाज के खिलाफ राजस्थान में पहले से ही कानून बना हुआ था जिसे अब और सख्त बनाया गया है। इनमें अब पुलिस अपने तौर पर जांच शुरू कर सकती है और अपराधियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। इस तरह के मुकदमों पर फैसले जल्दी कराने के लिए भी कानून में जरूरी तरमीम कर दी गई है। करीब 135 मामले पकड़े गये और उन पर कार्यवाही हो रही है। अब इस सम्बन्ध में हाल ही में भारत सरकार ने एक आर्डिनेन्स जारी किया है जो सारे देश पर लागू है।

गांवों में शोषण को खत्म करने के लिए छोटे काश्तकार, दस्तकार व भूमिहीन काश्तकारों की साहूकारों के कर्ज की वसूली पर एक साल की रोक लगादी गई है। राज्य सरकार अब शीघ्र ही इस सदन में एक बिल पेश कर रही है जिससे ऐसे कर्जों को पूरा खत्म ही कर दिया जाय। इस प्रकार कर्ज से मुक्त किये गये लोगों की सहूलियत के लिए सारे देश में हाल ही में 5 रूरल बैंक खोले गये हैं जिनमें से एक राजस्थान में भी खोला गया है। इस योजना को पूरे राजस्थान में लागू करने के लिये और जरूरी कर्ज दिलाने की योजना के बारे में भारत सरकार से बातचीत चल रही है। इस सिलसिले में सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को और मजबूत बनाया जाय। सहकारी समितियों के मेम्बर बनाने का तरीका बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब जैसे ही एक शख्स अर्जी पेश करता है उसे मेम्बर मान लिया जाएगा। इस तब्दीली के बाद सहकारी समितियों के करीबन 2 लाख 60 हजार मेम्बर बने हैं। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सोसाइटियों और बैंकों की मैनेजिंग कमेटियों

में एक तिहाई लोग कमजोर तबके के हों और इनके द्वारा बांटे जाने वाले शार्ट-टर्म लोन का एक-तिहाई हिस्सा और लांग-टर्म का एक-चौथाई हिस्सा ऐसे लोगों को मिले। इससे भी इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। को-आपरेटिव सेक्टर में इस साल 50 करोड़ रुपये का शार्ट-टर्म व 10 करोड़ रुपये का लांग-टर्म लोन तकसीम करने का टारगेट रखा गया है जब कि पिछले साल में लगभग 33 करोड़ रुपये का शार्ट-टर्म और 6 करोड़ 35 लाख रुपये का लांग-टर्म लोन बांटा गया था। इन सब कदमों से कमजोर तबके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सिचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए पांचवीं पांच साला प्लान के तहत बड़ी और मंझली प्रोजेक्ट्स के कमाण्ड में 4 लाख 10 हजार हेक्टेयर जमीन में आबपाशी का टारगेट रखा गया। लेकिन पहले ही साल में हमने 1 लाख 30 हजार हेक्टेयर जमीन में सिचाई बढ़ाने की कामयाबी हासिल कर ली। इस साल भारत सरकार ने राजस्थान नहर व माही बजाज सागर सिचाई योजनाओं के लिए 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी है। माही बांध के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि गुजरात सरकार से भी मिलेगी। राज्य सरकार को पूरा भरोसा है कि इस टारगेट को हासिल कर लिया जायगा। सिचाई योजनाओं के लिये वर्ल्ड बैंक की मदद से राजस्थान नहर और चम्बल कमाण्ड एरिया में पक्की नालियां बनाने एवं जमीन को समतल आदि करने की योजना लागू कर दी गई है। राजस्थान नहर के निर्माण में भी अच्छी प्रगति हुई है। पानी मुख्य नहर के पहले स्टेज के आखिरी हिस्से तक पहुंचाया जा चुका है।

राजस्थान में अब तक 6 हजार 740 गांव और करीब 90 हजार कुओं को बिजली पहुंचाई जा चुकी है। इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जा रहा है। आर. ई. सी. द्वारा इस वर्ष 32 योजनाएं और मंजूर की गई हैं। अब तक कुल 89 योजनाएं मंजूर की गई हैं। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कमजोर तबके के काश्तकारों को सबसे पहले कुओं पर बिजली दी जाय और उनसे खम्भे व तारों की कीमत तथा मिनिमम चार्जेज भी नहीं लिये जायं।

बुनकरों को राहत देने के लिए और हाथ कर्घा उद्योग की बढोतरी के लिए एक प्लान बनाया गया है जिसको अमल में लाने के लिए राजस्थान हाथ कर्घा प्रोजेक्ट बोर्ड कायम किया गया है। यह बोर्ड बुनकरों के लिए सूत, पूंजी और उनकी ट्रेनिंग का इन्तजाम करेगा। बोर्ड उत्पादकों को तैयार माल के बेचान में भी मदद करेगा।

काले धन के इकट्ठा होने के पीछे करों की चोरी एक बड़ा कारण है। इसकी रोकथाम करने के लिये राज्य सरकार ने यह तय किया है कि आर्थिक अपराधों की जल्दी सुनवाई के लिये कुछ स्पेशल अदालतें कायम की जायें। इसके साथ-साथ सरकार ने स्टाम्प कानून में भी एक तरमीम करने का फैसला किया है जिसके तहत जिला कलेक्टर कम स्टाम्प ड्यूटी लगाये गये दस्तावेजों को वापिस मंगाकर उन पर पूरी स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर सकेगा।

सरकार ने यह फैसला भी किया है कि माल गुजारी की 500 रुपये से ज्यादा बकाया का न देने की हालत में देनदार को सिविल जेल भेजा जा सकेगा। कर चोरी की रोकथाम के मुख्तलिफ उपायों से कर वसूली में बढोतरी हुई है। कर चोरी के 5 हजार 500 मामले पकड़े गये हैं जिनसे लगभग 19 लाख रुपये पैनल्टी के रूप में मौके पर ही वसूल किये गये हैं।

कारखानों के प्रबन्ध में मजदूरों को भागीदार बनाने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक संस्थान में जहां 500 मजदूर प्रतिदिन काम करते हों वहां संयुक्त प्रबन्ध कमेटियां बनाई जायें और हर एक ऐसी कमेटी में मजदूरों के नुमाइन्दे हों। राज्य सरकार ने पहले ही सरकारी और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स के मैनेजमेन्ट में मजदूरों के प्रतिनिधि लिये जाने के आदेश जनवरी 1975 में प्रसारित कर दिये थे। कारखानों के प्रबन्ध में मजदूरों का सहयोग लिये जाने के सिलसिले में भारत सरकार से जो गाइड-लाइन्स आयी हैं उन पर सरकार और गौर कर रही है।

सारे देश में सड़क द्वारा आसानी से माल की आमद-रफ्त को बढ़ावा देने के लिये जो स्कीम भारत सरकार ने बनायी है उसके तहत राजस्थान 250 नेशनल परमिट्स जारी करेगा और इसके लिये माकूल इन्तजाम किये जा रहे हैं। परिवहन की व्यवस्था में सुधार हुआ है और आमदनी भी बढ़ी है। नये मार्गों के राष्ट्रीयकरण का सिलसिला जारी है। अब तक 31 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।

नये आर्थिक प्रोग्राम के तहत स्कूल व कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों को रियायती दरों पर जरूरत की चीजें मुहैया करने के लिए सरकार द्वारा इन्तजाम कर दिये गये हैं। इससे करीब 47 हजार छात्रों को फायदा पहुंच रहा है। पिछड़े तबके के छात्रों को पढ़ाई-लिखाई में सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने करीब 29 हजार लड़के-लड़कियों को स्कॉलरशिप मंजूर की है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों के लिए चलाये जा रहे 318 होस्टल्स में 11 हजार 500 छात्र रहने, खाने एवं किताबों की मुफ्त सहूलियत का फायदा उठा रहे हैं। छात्रों को कन्ट्रोल दर पर किताबें और स्टेशनरी सप्लाई करने पर अब तक 91 लाख रुपये की किताबें और 1 करोड़ 32 लाख रुपये की कापियाँ सप्लाई की जा चुकी हैं। कमजोर तबके के जरूरतमन्द छात्रों को राहत पहुंचाने के लिए स्कूलों, कालेजों और यूनिवर्सिटियों में बुकबैंक खोले गये हैं। अब तक खोले गये 1,642 बुक- बैंकों में 3 लाख 93 हजार किताबें इकट्ठी करली गई हैं। इसके अलावा राज्य में शिक्षा के लिए इस साल 50 नये मिडिल स्कूल खोले गये हैं और 167 मिडिल स्कूलों को सेकण्डरी स्कूल में अपग्रेड किया गया है। स्कूली शिक्षा के साथ-साथ गैर-स्कूली (इन्फारमल) तालीम का भी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सके या जिन्हें किसी खास वजह से स्कूल बीच में ही छोड़ना पड़ गया, उनके लिए खोले गये 300 चल रहे सेन्टर्स के अलावा इस साल 300 सेन्टर और खोले जा रहे हैं, जिनमें 8 से 14 साल के बच्चे और 15 से 25 साल के नौजवान जरूरी तालीम पा सकेंगे। तालीम को बढ़ा-

Page No 11

(11)

तरी के लिए 400 गांवों में टेलीविजन सेट्स भी लगाये गये हैं। शिक्षा में जरूरी तरमीम लाने के लिए जो हाई-पावर कमेटी मुकर्रर की गई थी उसकी सिफारिशों पर सरकार गौर कर रही है।

नये आर्थिक प्रोग्राम के तहत अप्रेन्टिसशिप योजना को राज्य में पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत कुल 1,300 ट्रेड-अप्रेन्टिसेज, 250 टैक्निशियन अप्रेन्टिसेज और 50 ग्रेजुएट अप्रेन्टिसेज को ट्रेनिंग की जगह दी गई है। राजस्थान में डिप्लोमा और डिग्री प्राप्त हर शख्स जो ट्रेनिंग लेना चाहता हो, उसे ट्रेनिंग की सहूलियत दे दी गई है।

सरकार ने खर्चे में कमी करने के ख्याल से चालू वर्ष में बजट में करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपये की कमी करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक आने वाले सालों में भी करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपये की सालाना बचत हो सकेगी। अब तक कुल मिलाकर 2 हजार 371 सरकारी पदों को इस कमी के तहत समाप्त कर दिया गया है।

डा. एल. एम. सिघवी की अध्यक्षता में कानून में सुधार एवं सेवाओं के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने का फैसला किया है। यह सहायता सभी जिलों व सब-डिवीजनों में मुहैया कराई जाएगी। इस इमदाद के तहत 300 रुपये या इससे कम माहवार आमदनी वाले फायदा उठा सकेंगे। राज्य स्तर पर मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में नीति-निर्धारण एवं समस्त राज्य में सहायता कार्य की देखभाल के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। इसके लिए हाई कोर्ट, रेवेन्यू बोर्ड तथा जिला व सब-डिवीजन हैड-क्वार्टरों पर भी कानूनी सहायता कमेटियां बनाई जा रही हैं। इसके लिए इस साल 5 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। मुकदमे जल्दी फैसले करवाने के लिए 40 नई अदालतें भी कायम की गई हैं।

नये आर्थिक कार्यक्रम को असली जामा पहनाने के साथ-साथ सरकार ने कई और अहम कदम उठाये हैं। जिनसे सरकार के इन्तजाम और सरकारी काम-काज करने के तरीकों में बड़ा फर्क आया है। सर्विस रूल्स में एक नयी तरमीम की गई है जिसके जरिये 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस या 50 साल की उम्र पूरी कर लेने पर उन सरकारी अफसरों या दूसरे अमले को, जिनकी कार्य कुशलता में कमी आ गई हो अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे न हो एवं जिनको राज्य सेवा में जारी रखना जनहित में न हो, उन्हें समय से पहले रिटायर किया जा सकता है। इस कायदे के जरिये अब तक कुल मिलाकर 1,906 अफसरों व दूसरे अमले को रिटायर किया जा चुका है। सरकारी मशीनरी में काबिल आदमियों को भी आगे लाने के लिए भी कुछ नये कायदे बनाये गये हैं जिसमें पहले प्रोमोशन को छोड़कर ऊपर के सभी ओहदों पर सीनियोरिटी के बजाय केवल मेरिट के आधार पर तरक्की दिये जाने का अहम कायदा शामिल है। सबोर्डिनेट सर्विस मे स्टेट सर्विस में तरक्की देने के लिए भी इसी तरीके को काम में लिया जाएगा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य का सही मूल्यांकन करने की प्रणाली में आवश्यक

संशोधन किये जा रहे हैं। इसके लिए नये प्रोफार्मा बनाये जा रहे हैं। पिछड़े तबके के लोगों को नौकरियों में ज्यादा मौका देने के वास्ते अब शेडयूल्ड कास्ट्स एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स को प्रोमोशन के जरिये भरे जाने वाले ओहदों पर भी रिजर्वेशन का हक दिया गया है। यह रिजर्वेशन एड-हॉक सीधी भर्ती और तरक्की के लिए भी लागू होगा। सरकारी मशीनरी की कुशलता और निष्ठा को बढ़ाने एवं उसके काम करने के तरीकों में गति लाने के लिए सरकार ने श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा की सदारत में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सरकार गौर कर रही है।

एक तरफ जहां सरकार अकुशल कर्मचारियों को हटाने की कारवाई कर रही है वहां दूसरी तरफ बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया किया गया है। इस वर्ष लगभग 19 हजार लोगों को नियोजन कार्यालयों के माध्यम से नौकरियां दिलाई गई हैं। राज्य स्तर पर विकलांगों (हैन्डीकेप्ड) के लिए एक विशेष नियोजन कार्यालय स्थापित किया गया है।

इन्डस्ट्रीज की तरक्की के लिए भी सरकार ने कई प्रोग्राम हाथ में लिये हैं। इस समय 19 हजार छोटी यूनिटें काम कर रही हैं और 5 जिलों में गांवों के लिए इण्डस्ट्रीज के प्रोजेक्ट चालू कर दिये गए हैं। इण्डस्ट्रीज और खानों की तरक्की के लिए जो कारपोरेशन बनाया गया है उसके द्वारा औद्योगीकरण के लिए 4 हजार 630 एकड़ जमीन का विकास किया जा रहा है। अब तक 1,600 प्लॉट तथा 216 शैड इण्डस्ट्रियल यूनिटों को अलॉट किये जा चुके हैं। औद्योगिक विकास के लिए कारपोरेशन ने 160 लाख रुपये की रकम बैंकों से प्राप्त कर ली है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि राज्य में स्कूटर बनाने का काम शीघ्र ही तथा टेलीविजन बनाने का काम 1976 के बीच शुरू हो जायेगा। इस कारपोरेशन ने अब तक 13 औद्योगिक लाइसेन्स (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) प्राप्त कर लिए हैं। इस वर्ष राजस्थान लघु उद्योग निगम ने भी अच्छी प्रगति की है। निगम ने अपने कुल 75 लाख 43 हजार के टर्न-ओवर में करीब 20 लाख रुपये के मूल्य का निर्यात भी किया है। राजस्थान वित्त निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर तक 208 औद्योगिक इकाइयों को 5 करोड़ 75 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये तथा इसी अवधि में 3 करोड़ 1 लाख रु. के ऋण वितरित किये।

राज्य में खनिजों की खोज के लिए खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा इस समय 44 प्रोजेक्ट्स चलाये जा रहे हैं। चालू साल में करीबन 3 लाख टन रॉकफास्फेट निकाला जा सकेगा जिससे करीब 9 करोड़ 56 लाख रुपये की आमदनी होने की उम्मीद है।

एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कारपोरेशन ने जनवरी 1975 से अब तक 24 नई स्कीमें मंजूर की हैं। इस कारपोरेशन की मदद से कुल 52 स्कीमें चालू हैं। इस साल में इस प्रोग्राम के तहत नये कुए बनवाने, गहरे करवाने, पम्प लगवाने आदि के लिए करीब 4 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट हो जाने की

उम्मीद है। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जहां भू-जल का सर्वे कर लिया गया है वहां ए. आर. सी. स्कीमें बनाकर भू-जल का पूरा उपयोग किया जाय।

छोटे व सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए एक अहम प्रोग्राम (एस. एफ. डी. ए., एम. एफ. ए. एल.) अलवर, भरतपुर, उदयपुर अजमेर व भीलवाड़ा में चालू है। इन स्कीमों को और जिलों में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है। इन जिलों में इन प्रोग्रामों के चालू होने से गांवों में पिछड़े व कमजोर तबके के लोगों की माली हालत सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम में शामिल जिलों के लोगों की माली हालत सुधारने के लिए भारत सरकार ने इन जिलों में मौजूदा साधनों के विकास के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम का मकसद खेती, सिंचाई, पशुपालन, डेयरी आदि का इस तरह विकास करना है कि लोग अकाल के हालात का अच्छी तरह मुकाबला कर सकें। इस प्रोग्राम के तहत चालू साल में 9 करोड़ 58 लाख रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है। इस प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए जिला विकास एजेन्सियां बना दी गई हैं जिनके मार्फत हर विभाग अपना काम करेंगे। इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा बिजली की लाइनें डालकर इन जिलों में बिजली सप्लाई का इन्तजाम करना है। चालू साल में जालौर, बीकानेर व जैसलमेर जिलों में यह प्रोग्राम लिया जा रहा है। राजस्थान नहर के इलाके में सड़कों के किनारे पेड़ लगाने तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में उजड़े जंगलों को फिर से बसाने का प्रोग्राम भी हाथ में लिया जा रहा है। चरागाह विकास, ट्यूब-वैल खोदने और डेयरी का प्रोग्राम भी चालू है। डी.पी.ए.पी. जिलों को कर्जा मिल सके, इसके लिए ए.आर.सी. की मदद से जोधपुर व नागौर के लिए बैंकिंग-प्लान बनाया जा रहा है। इसी किस्म का प्लान बाकी डी.पी.ए.पी. जिलों में जल्दी ही चालू कर दिया जावेगा।

अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक व सवाई माधोपुर में वर्ल्ड बैंक की मदद से डेयरी स्कीमें चालू की जा रही हैं। अजमेर, जयपुर एवं भरतपुर में दूध उत्पादक संघों को कायम किया जा चुका है तथा 270 दुग्ध उत्पादक समितियां बनाई जा चुकी हैं। जोधपुर व बीकानेर में फीडर बैलेन्सिंग प्लान्ट लगाये जा रहे हैं जो 1 लाख लीटर कैपेसिटी के होंगे। जोधपुर में प्लान्ट का पहला स्टेज पूरा किया जाकर प्लान्ट चालू कर दिया गया है। पाली, मेड़तासिटी, बालोतरा, पोकरण, सरदारशहर व लूनकरणसर में भी 10 हजार लीटर रोजाना की कैपेसिटी के चिलिंग प्लान्ट लगाये जा रहे हैं जिनकी कैपेसिटी जरूरत पड़ने पर 20 हजार लीटर रोजाना की जा सकती है। इनमें से पोकरण, पाली व लूनकरणसर में प्लान्ट चालू हो गये हैं। विशेष प्लान्ट भी इसी वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेंगे। अजमेर में 25 हजार लीटर का प्लान्ट तैयार हो चुका है इसे बढ़ा कर एक लाख लीटर तक करने का सरकार का इरादा है और काम भी चालू हो गया है। राजस्थान में 1 लाख 25 हजार लीटर दूध रोजाना इकट्ठा किया जा

रहा है। दुधारू जानवरों की किस्म को सुधारने के लिये ज्यादा तादाद में विदेशी सांड जयपुर जिले के बस्सी फार्म पर रखे गये हैं। जानवरों के सन्तुलित आहार बनाने के 5 कारखाने विश्व बैंक की सहायता से पूर्वी जिलों में स्थापित किये जा रहे हैं।

इस राज्य में 11 जिलों में रेगिस्तानी हालात हैं। उनके सुधार हेतु योजनाएं बनाने के लिए सरकार ने मरु विकास बोर्ड व आयोग कायम किया है। बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के मेम्बर हैं।

सरकार ने आदिवासियों के इलाकों के विकास के लिए पोलिसी तय करने और प्रोग्राम के अमल की देखभाल के लिए मुख्य-मंत्री की सदारत में एक बोर्ड बनाया है। इन इलाकों के खास मसलों व जरूरियात को मालूम करने और उन्हें दूर करने के लिए कमीशन भी बनाया गया है। अब तक भारत सरकार से 170 लाख रुपये की मंजूरी इन इलाकों के लिए मिल गई है जिससे 59 छोटी सिंचाई के काम चालू कर दिये गये हैं। आदिवासियों के विकास के विस्तृत ट्राइबल सब-प्लान के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है।

चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु इस वर्ष एक विशेष योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत मेडिकल कालेजों के विशेषज्ञों की सेवाए हर माह चुने हुए जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी तरह जिले के विशेषज्ञों की सेवाएं कस्बों और गांवों में भी अब नियमित रूप से मिल रही हैं। हाल ही में जयपुर में देश का पांचवां कृत्रिम अंग-निर्माण केन्द्र स्थापित किया गया है। इससे सभी तबके के लोगों को फायदा होगा। फैमिली-प्लानिंग के सिलसिले में चालू साल में दिसम्बर तक करीब 42 हजार 500 नसबन्दी आपरेशन किये गए हैं।

राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया है। इस साल राज्य में 103 नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये हैं और रिसर्च के लिए एक अनुसंधान मण्डल का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त गांवों के स्कूली लड़कों के स्वास्थ्य की जांच का काम भी वैद्यों को सौंपा गया है।

राज्य में पेयजल की सुविधा के लिए इस साल 76 नई योजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें हैण्ड-पम्प की 6 योजनाएं भी शामिल हैं। पानी की कमी को पूरा करने की दिशा में राज्य में चालू साल में अक्टूबर तक 5 हजार 77 कुओं को ब्लास्टिंग के जरिये गहरा किया गया है। अगले साल 17 हजार कुओं में ब्लास्टिंग करने की स्कीम तैयार की गई है। कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर व उदयपुर जिलों में पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए 381 हैण्ड-पम्प और नल-कूप लगाने का काम प्रगति पर है। इन्हीं जिलों में अगले साल 500 हैण्ड-पम्प, नल-कूप लगाए जाने की सरकार की मंशा है। हाल ही में राज्य में एक जल-प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण मण्डल की स्थापना की गई है जिसका मुख्य कार्य उद्योगों एवं नगरपालिकाओं द्वारा विसर्जित दूषित पदार्थों का निवारण एवं नियन्त्रण करना है ताकि प्रदेश के जल-स्रोतों को स्वच्छ रखा जा सके।

शहरी विकास की दिशा में राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर बीकानेर और अलवर के मास्टर-प्लान बन गये हैं। इसी सिलसिले में जयपुर शहर की तमाम 109 कच्ची बस्तियों की तरक्की के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया था. उसमें से 39 बस्तियों के पांच प्रोजेक्ट्स के लिए 69 लाख रुपया भारत सरकार से मिला है। इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी ही पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा दीगर 14 बस्तियों के 6 प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार ने 30 लाख रुपया देना मंजूर किया है। शहरों में रिहायशी मकानों की कमी को मद्देनजर रखते हुए सन् 1970 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कायम किया गया था। बोर्ड ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर में 10 हजार से ज्यादा नये मकान बनाकर सभी तबके के लोगों को अलॉट कर दिये हैं। इन मकानों में से 70 फीसदी मकान कमजोर माली हालत वाले लोगों को दिए गए हैं। मार्च 1975 तक बोर्ड द्वारा इस काम में करीब 13 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। चालू वर्ष में बोर्ड ने माही बजाज सागर बांध के विस्थापितों के लिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मकान बनाने की स्कीम शुरू कर दी है।

अब मैं आपका ध्यान वनों के विकास की ओर दिलाना चाहता हूं. जिनका अर्थ व्यवस्था में बड़ा योगदान है। वनों से प्राप्त आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। चालू साल में 4 करोड़ 16 लाख रुपये की आमदनी का टारगेट रखा गया है। ठेकेदारों के बजाय अब जंगलात की कटाई का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है और इससे ठेकेदारी के मुकाबले आमदनी में प्रति एकड़ पांच गुना इजाफा हुआ है. जब कि उतनी ही पैदावार के लिए पहले के मुकाबले आधा ही रकबा काटा गया है। इसके अलावा ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण को समाप्त कर वनों का तकनीकी ढंग से विकास किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप 6 हजार 500 हेक्टेयर में काटे गये वन-क्षेत्र का संरक्षण, 750 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 2,500 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र में भू-सरंक्षण कार्य किया गया है। साथ ही चारागाह विकास तथा नहरों के किनारे वृक्षारोपण-कार्य भी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अधीन लगभग 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में इसी साल भू-सर्वेक्षण का काम चलाया जायेगा। सूखे से निपटने के लिए चालू साल में 53 लाख रुपये के 8 जिलों में अकाल राहत काम करवाये गए हैं। सवाई माधोपुर टाइगर प्रोजेक्ट पर 6 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और जैसलमेर जिले में एक मरुस्थल नेशनल पार्क स्थापित किया जाएगा।

जैसा कि आप जानते हैं, पिछले मानसून के दौरान राजस्थान के कई जिले खास तौर पर नागौर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर एवं कोटा बाढ़ की चपेट में आ गये, जिससे फसल के अलावा जान-माल को भी भारी नुकसान पहुंचा। बाढ़ ग्रस्त लोगों को तत्काल राहत दिलाने के लिए, सरकार ने अब तक करीब 36 लाख रुपये खर्च किए है। ऐसा अन्दाजा लगाया गया है कि कुल मिलाकर 17 करोड़ 67 लाख रुपये का नुकसान हुआ। भारत सरकार से हाल ही में सड़क और तालाबों की मरम्मत के लिए ढाई करोड़ रुपये मिले है।

सरकार द्वारा उठाये गये अन्य कदमों में किरायेदारों को बेदखली से राहत पहुंचाने के लिए एक वह आर्डिनेन्स भी शामिल है जिसके अनुसार किरायेदारों के वारिसों को भी किरायेदार माना जाएगा। इसके अलावा बैंक में किराया जमा कराने, नल बिजली की सुविधा बदस्तूर जारी रहने और अदालत से किराया तय कराने आदि की सहूलियतों में सुधार किया गया है।

एक दीगर फैसले के मुताबिक सरकार ने अब यह इन्तजाम कर दिया है कि अर्जियों एवं दावों पर स्टेम्प-ड्यूटी का भुगतान नकद दिया जा सकता है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी।

राज्य में पर्यटकों के लिए सुविधाओं में और बढ़ोतरी की गई है। नाथद्वारा में नया पर्यटक-विश्रामगृह बना दिया गया है और जयपुर, कोटा, बहरोड़ और रणकपुर में नये पर्यटक-विश्राम-गृह का काम चालू है। सन् 1975 का साल दक्षिण एशिया पर्यटक वर्ष (SATY) घोषित किया गया था जिसके अन्तर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और फैशन-शो आदि आयोजित किये गए, जिससे राजस्थान की ओर पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ा है।

1975 का साल अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। इस सिलसिले में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को मानते हुए महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। जनता में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए जयपुर में 6 क्षेत्रीय महिला समितियां गठित की गई हैं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अधिकतर महिला बन्दियों की सजा में छूट दी गई है और 21 महिलाओं को रिहा भी किया जा चुका है। महिला बन्दियों के रहन-सहन और तालीम की व्यवस्था में सुधार किया गया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को सुनियोजित ढंग से बसाने के लिये पुनर्वास की योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें से 4 योजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं और उनको तेजी से पूरा करने की कार्यवाही जारी है। पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 4 योजनाएं भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं, इनसे 8 हजार 500 परिवारों को फायदा पहुंचेगा। जयपुर में पुनर्वास बस्तियों के विकास के लिए 18 लाख 80 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य पुनर्वास योजना के अन्तर्गत लगभग 50 लाख रुपये की लागत से नया बाजार एक बड़े गन्दे नाले को पाटकर बनाया जा रहा है जिसमें 350 दुकानें होंगी। नाले से हटने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए 7 लाख 55 हजार रुपये की लागत से एक नई कालोनी बनाई जा रही है।

कडाना बांध से विस्थापित होने वाले लगभग 7 हजार 500 परिवारों का पुनर्वास कार्य प्रगति पर है। गुजरात और राजस्थान के बीच मई 1975 में हुए समझौते के अनुसार पुनर्वास कार्य के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपये गुजरात सरकार से मिलेंगे। डूंगरपुर जिले में स्थित बोहरा सम्प्रदाय के धर्म-स्थल गलियाकोट को कडाना बांध

को डूब में आने से बचाने के लिए एक रिंग-बांध का निर्माण किया जा रहा है जिसके लिए गुजरात सरकार द्वारा अलग से रकम उपलब्ध कराई जा रही है ।

भगवान महावीर का 2500 वां निर्वाण वर्ष राज्य में भी मनाया गया । इसके लिए राज्य व जिला स्तर पर समितियां बनाई गई जिनके निर्देशन में जनोपयोगी कार्य हाथ में लिये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये मकान बनवाना भी था । अब तक करीब 500 ऐसे मकानों के लिये ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई । अन्य जनोपयोगी कार्यों में स्कूल, अस्पताल व पार्क आदि बनवाना भी शामिल है । इस वर्ष में विकलांग सहायता हेतु एक स्थायी समिति की भी स्थापना की गई जो आर्थिक रूप से कमजोर विकलांगों को कृत्रिम अंग मुफ्त उपलब्ध करायेगी । अब तक करीब 60 व्यक्तियों को इसका लाभ मिल चुका है और प्रत्येक वर्ष करीब 200 ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलता रहेगा ।

राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी रही । इमरजेन्सी की घोषणा के बाद आमतौर पर अपराधों में सन्तोषजनक कमी हुई और आन्दोलनों का सिलसिला जो हमारे सामाजिक और राजनैतिक जीवन को दूषित कर रहा था, उस पर कारगर रोक लगी है । बदली परिस्थितियों में छात्र अपना अध्ययन स्वेच्छापूर्वक शान्ति व अनुशासन से कर रहे हैं और मजदूरों में भी उत्पादन वृद्धि के प्रति अधिक रुचि जागृत हुई है । राज्य सरकार की बराबर यह कोशिश रही है कि पुलिस प्रशासन में सुधार हो और उसकी कुशलता और काम करने की कैपेसिटी बढ़े । पुलिस रि-आर्गेनाइजेशन की योजना का दूसरा स्टेज भी अमल में लाया गया है ।

इस सैशन में आपके सामने जो बिल पेश किये जायेंगे उनकी तफसील इस प्रकार है:– राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान भवन (किराया और बेदखली नियन्त्रण) विधेयक 1975, राजस्थान लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया विनियमन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 1975, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपील अधिकरण) विधेयक 1975, रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक 1975, मजदूरी विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण अधिस्थगन) विधेयक 1975, राजस्थान अनुसूचित ऋणी (ऋण-समापन) विधेयक 1975, राजस्थान स्मारक पुरातत्वीय-स्थल एवं पुरावशेष (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1975, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 1975 एवं राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1975 । इन बिलों पर आपका

विचार–विमर्श करना और उन्हें कानून की शक्ल देना है।

अभी मैंने आपके सामने सरकार की सफलताओं का मोटे तौर पर लेखा–जोखा रखा है। देश और राज्य में आज आशा और विश्वास की नई लहर आयी है। मुझे भरोसा है कि इस सेशन में आप जिन अहम मसलों पर गौर करेंगे वे सब आम आदमी की भलाई और खुशहाली के लिए होंगे। इस दिशा में आप अपने विचार–विमर्श में सफल हों, इस कामना के साथ मैं आप से विदा लेता हूं।

जयहिन्द।

———